



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 1992/आषाढ़ 3, 1914

No. 631]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 1992/ASADHA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड  
अधिमूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1992

का आ 711(अ) —केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधि-  
नियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35क के  
स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रीय समिति की  
सिफारिश पर, नीचे मदे (1) में (11) में उल्लिखित समस्याओं  
का अनुमोदन करती है और उनकी अपनी मदों में पात्र  
परियोजनाएँ और स्कीम तथा उनकी प्राक्कलित लागत  
विहित करती है।

1 (1) (1) बनवामी सेवाश्रम, गाविन्दपुर (बाधा  
तुर्ग), सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।

(ii) (क) राष्ट्रीय निर्माण के लिए ग्रामीण स्वराज्य-  
युवा के लिए मिशन।

(ख) सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) जिले में जनजातीय  
ग्रामों में महिलाओं और बालकों के एक सौ केन्द्रों का निर्माण  
और उपस्कर।

(ग) बनवामी भवन—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-  
जाति तथा अन्य निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास-मह-  
प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण और उपस्कर।

(iii) (क) 5 करोड़ रु

(ख) 1.5 करोड़ रु

(ग) 1.5 करोड़ रु

(2) (i) जयपुर ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास न्याम,  
10 गणेश कालोनी, मोती झुंगरी, जयपुर—302004।

(ii) (क) पीवीओएच—11 यू एम एड

(ख) कम लागत के गृहों का निर्माण

(ग) जयपुर जिला ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना

(घ) ग्रामीण महिलाओं के लिए कुकुट प्रजनन और बस्त्र मिलाई परियोजना ।

(iii) (क) कुल औसत 20.95 लाख रुपयों में अधिक

(ख) 14.70 लाख रु.

(ग) 18 लाख रु.

(घ) 3 लाख रु.

3 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत पर ग्रामीण महिलाओं के लिए कुकुट प्रजनन और बस्त्र मिलाई परियोजना का निर्धारण वर्ष 1993-94 के लिए अनुमोदन किया गया है।

(3) (i) विधिक सहायता सेवा, पश्चिमी बंगाल (वि.स.से. प.ब.) 5, के.एस. राय मार्ग (भूतल), कलकत्ता-700001

(ii) (क) विधिक सहायता शिविर

(ख) विधिक साक्षरता स्कीम

(iii) (क) 2,40,000 रु.

(ख) 4,80,000 रु.

उपमद (ii) में उल्लिखित स्कीम और उपमद (iii) में उल्लिखित उनकी लागत का निर्धारण बस्त्र 1993-94 के लिए अनुमोदन किया गया है।

(4) (i) भोरूका पूर्ण न्यास, 1 प्रभुदयाल मार्ग, खंगानेर वायुपत्तन, जयपुर-302011

(ii) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (बीम परियोजनाएं),

1. ग्रामीण सड़क निर्माण (धात्विक) (25 कि.मी.)

2. ग्रामीण सड़क निर्माण (कच्ची) 50 कि.मी.।

3. कम लागत के शौचालय और स्नान गृह (3000 एकक)

4. कम लागत की आवास परियोजना (1000 एकक)

5. स्वास्थ्य उपकेन्द्र (56 एकक)

6. अस्पताल का निर्माण (30 बिस्तरों वाला)

7. भू-जल अन्वेषण के लिए अनुसंधान केन्द्र

8. वर्षा के पानी का कटाव (50 एकक × 80,000 रु.)

9. खुदे हुए कुओ का निर्माण (20 एकक)

10. पेयजल के लिए हैन्ड पम्प (200 एकक)

11. कृषि विज्ञान

12. ड्रूम सिचाई के द्वारा बागवानी का विकास

13. बंजर भूमि विकास परियोजना (600 हैक्टेयर)

14. एकीकृत बाल विकास सेवाएं (100 केन्द्र)

15. लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा (200 केन्द्र)

16. लड़कियों के लिए माध्यमिक/उच्च विद्यालय (6 विद्यालय)

17 महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा (200 केन्द्र)

18 महिलाओं के लिए वृत्तिक प्रशिक्षण केन्द्र

19. प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण महाययों की व्यवस्था करना (100 विद्यालय)

20. व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य विकास परियोजना।

(iii) सरकारी अनुदान घटाकर औसत प्राक्कलित लागत 669,25,500 रु.

(5) (i) जमनालाल बजाज प्रतिष्ठान, बजाज भवन, दूसरा तल, 226 नरीमन प्वाइंट, जमना लाल बजाज मार्ग, बम्बई—400021

(ii) (क) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति (हैन्ड पम्प)

(ख) ग्रामीण स्वच्छता (कम लातेन के शौचालय)

(ग) एकीकृत ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल।

(iii) (क) 2,90,500 रु.

(ख) 11,69,000 रु.

(ग) 90,000 रु.।

(6) (i) रामकृष्ण मिशन, डाकपर वैलूर मद, जिला हावड़ा, पश्चिमी बंगाल—711202

(ii) (क) ग्रामीण निधनों के लिए आवास एककों का निर्माण।

(ख) चल चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा

(iii) (क) 50 लाख रु.

(ख) 15 लाख रु.।

(7) (i) ए सी आई एल नवसृजन ग्रामीण विकास।

प्रतिष्ठान, बालडोटा भवन, 6ठा तल, 117 महुषि कर्वे मार्ग, बम्बई-400 020

(ii) (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम

(ख) नेत्र संरक्षण शिविर

(ग) विद्यालय कक्ष निर्माण कार्यक्रम

(घ) निर्बल व्यक्तियों के लिए स्वन. विनियोजन

(iii) (क) 1 लाख रु.

(ख) 1 लाख रु.

(ग) 7.7 लाख .

(घ) 5 लाख रु.

(8) (i) डा. विद्यासागर अस्पताल, नेहरू नगर, नई दिल्ली—110065

(ii) अल्कोहल और औषधि व्यसनियों की चेतनता और पुनर्वास

(iii) 58.60 लाख रु

(9) (i) अमरावती सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  
रजिस्टर नं. आई-66/92

अमरावती डाकघर कुमिली-685509 (के.एल.)

(ii) विज्ञान इकाई भवन और अन्य विकास कार्य

(iii) 3.5 लाख रु.

(10) (i) आणुपद मुलांग मभा, ग्राम जामली

डाकघर लाकरेन, तहसील शारमर, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

(ii) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आर्थिक रूप से  
निर्बल वर्गों के लिए आवास एकरी का निर्माण।

(iii) सी.ए.पी.ए.आर.टी. में प्राप्त किसी राशि को कम करने  
15.85 लाख रु.

(11) (i) मूक बालक—माता पिता मगम (रजि.०) 273,  
16वां मेन, सरस्वतीपुरम

(ii) अमृविश्रासन बानकी की माताओं के लिए विद्यालय  
भवन, छात्रावास का निर्माण तथा सरस्वतीपुरम स्थित एक  
प्रशिक्षण कार्यक्रम, मैसूर

(iii) 36 लाख रु.

2. जब तक कि क्रमशः (2) और (3) मदों की बाबत  
अन्यथा उपबोधित न हो, यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 1993-  
94 में प्रारम्भ हो कर तीन निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए  
प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 9104/फा.म.133/300/92-टीपीएन]

विवेक कुमार सम्मोना, प्रवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1992

S.O. 711(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of the Explanation to, section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (53 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee, hereby approves the instructions mentioned below in items (1) to (11) and specifies the eligible projects and schemes and the estimated cost thereof in their respective items.

1. (1) (i) Banwasi Seva Ashram, Govindpur,  
(Via Turra), Sonbhadra. U.P.

(ii) (a) Mission for Gram Swarjya-Youth for National Construction.

(b) Construction and Equipment of One Hundred Women and Children Centres in the tribal villages in the district of Sonbhadra, (UP).

(c) Banwasi Bhawana - Construction and Equipment of a Hostel-cum-training Centre for SC/ST and other poor students.

(iii) (a) Rs. 5 crores

(b) Rs. 1.5 crores

(c) Rs. 1.5 crores

(2) (i) Jaipur Rural Health and Development Trust, 10, Ganesh Colony, Moti Bungri, Jaipur-302004.

(ii) (a) PVOH II U.S. Aid

(b) Construction of low cost houses

(c) Jaipur District Rural Health Project

(d) Poultry Raising and Garment making for rural women.

(iii) (a) Not exceeding Rs 20.95 lakhs in the aggregate.

(b) Rs 14.70 lakhs

(c) Rs 18 lakhs

(d) Rs. 3 lakhs.

The project on poultry raising and garment making for rural women at the estimated cost of Rs. 3 lakhs is approved for the assessment year 1993-94.

(3) (i) Legal Aid Services, West Bengal (LAS-WEB) 5, K.S. Roy Road (Ground Floor), Calcutta-700 001.

(ii) (a) Legal Aid Camp

(b) Legal Literacy Scheme

(iii) (a) Rs. 2,40,000.

(b) Rs. 4,80,000.

The Scheme mentioned in sub-item (ii) and the cost thereof mentioned in sub-item (iii) is approved for the assessment year 1993-94.

(4) (i) Bhoruka Charitable Trust, 1 Prabhu Dayal Marg, Sanganer Airport, Jaipur-302011

(ii) Intergrated Rural Development Programme (Twenty projects)

1. Rural Road construction (mentioned) (25 Kms)

2. Rural Road Construction (Kaccha) (50 Kms.)

3. Low Cost Latrines & Bathing Cubicle (3000 units)

4. Low Cost Housing Project (1000 units)

5. Health Sub-Centres (65 units)

6. Construction of Hospital (30 bedded)

7. Research Centre for groundwater exploration

8. Rainwater harvesting (50 units X Rs. 80,000)

9. Construction of dugwells (20 Units)

10. Handpumps for drinking water (200 Units)

11. Agricultural Development.

12. Development of horticulture through drip irrigation

13. Wasteland development project (600 hectares)

14. Integrated Child Development Services (100 centres)
15. Non-formal Education for girls (200 centre)
16. Middle High School for girls (6 of schools)
17. Adult Education for Women (200 centres)
18. Vocational Training Centre for Women
19. Providing teaching aids to Primary Schools (100 schools)
20. Comprehensive Rural Health Development Project.
- (iii) Aggregate estimated cost less Government grants that is for Rs. 6,69,25,500]-.
- (5) (i) Jamnalal Bajaj Foundation, Bajaj Bhawan, 2nd Floor, 226 Nariman Point, Jamnalal Bajaj Marg, Bombay-400021
- (ii) (a) Accelerated Rural Water Supply (Hand-pumps)
- (b) Rural Sanitation—(Low Cost latrines)
- (c) Intergrated Rural Health Care
- (iii) (a) Rs. 2,90,500
- (b) Rs. 11,69,000
- (c) Rs. 90,000
- (6) (i) Ramakrishna Mission, P.O. Belur Math, Distt. Horwarh, West Bengal-711202
- (ii) (a) Construction of dwelling units for the rural poor (b) Mobile Medical Services and Health Education
- (iii) (a) Rs. 50 lakhs.
- (b) Rs. 15 lakhs.
- (7) (i) ACIL-Navasarjan Rural Development (ANARDe) Foundation, Baldota Bhawan, 6th Floor, 117 Maharshi Karve Marg, Bombay-400 020
- (ii) (a) Family Welfare Programme
- (b) Eye Protection Camp
- (c) School Room Construction Programme
- (d) Self employment for poor people
- (iii) (a) Rs. 1 lakh
- (b) Rs. 1 lakh
- (c) Rs. 7.7 lakhs
- (d) Rs. 5 lakhs
- (8) (i) Dr Vidya Sagar Hospital, Nehru Nagar, New Delhi-110065
- (ii) Awareness and rehabilitation for durg addicts and alocholics
- (iii) Rs. 58.60 lakhs
- (9) (i) Amravathy Government Higher Secondary, Reg. No. I-66|92, AMRAVATHY 10, KUMILLY-185509. (KERALA)
- (ii) Science Block buildings and other development works
- (iii) Rs. 3.5 lakhs
- (10) (i) Ashupad Sudhar Sabha, Village Jamli, P.O. Lafran, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur (H.P.)
- (ii) Construction of dwelling units for economically weaker sections in the Hamirpur District of H.P.
- (iii) Rs. 15.85 lakhs as reduced by any sums received from CAPART.
- (11) (i) Parents Association of Deaf Children (Regd), 273, 16th Main, Saraswathi-puram, Mysore
- (ii) Construction of a school building, hostel for mothers of the handicapped children and a training programme at Saraswathipuram, Mysore
- (iii) Rs. 36 lakhs.
2. Unless otherwise provided in relation to items (2) and (3) respectively, this notification shall remain in force for a period of three assessment years commencing from the assessment years 1993-94.

[No. 9104/F. N. 133|300|92-TPL]

VIRENDRA KUMAR SAKSENA, Under Secy.